

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक (कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्योरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० बच्चु राम, पि० वर्ग	श्रीमती सुमित्रा देवी(पत्नी)	290/25. 05.2018	ग्रा०-रामडीह, पो०+था०+प्र०- सिकन्दरा, जमुई	342701100 56373	बिहार ग्रामीण बैंक, सिकन्दरा UCBAORRBBKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु. ड्रक्टर ड्राईवर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० बलराम यादव, पि० वर्ग	श्रीमती उरप्रमिला देवी(पत्नी)	299/29. 05.2018	ग्रा०-कल्याणपुर, पो०+था०+प्र०+जि०- जमुई	372802010 998206	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBIN0537284	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु. इंटर पम्पर ठोने का कार्य व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 200000/-

(दो लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-30/2018 के पृष्ठ-03/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-30/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-30/2018

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह0/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह0/-  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-30/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।  
निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह0/-  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-30/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, जमुई को उनके पत्रांक 290 दिनांक 25.05.18 एवं 299 दिनांक 29.5.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह0/-  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-30/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह0/-  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-30/2018 - 273

पटना, दिनांक :- 21.06.18

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/6/18  
15.06.18  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

Gms  
15/06/18  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

3/6/18  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।